रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 1971/माघ 23, 1892

No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 1971/MAGHA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February 1971

G.S.R. 225.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, with the consent of the Government of Meghalaya, hereby entrusts to that Government the functions of the Central Government under sections 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15 and 18 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958).

[No. 209 (MEGH)(1)/37/70 PY. II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1971

सा०का०नि० 225.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 254 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय सरकार की सम्मती से, धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 4, 5, 8, 9, 10 12, 15 और 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य उस सरकार को एतद्द्वारा सौंपते हैं।

[सं० 209 (एम ई जी एच) (1)/37/70-पी० वाई०-II]

आर० बालसुब्रमण्यम,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971